International Journal of Applied Research 2019; 5(7): 535-537

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2019; 5(7): 535-537
www.allresearchjournal.com
Received: 24-05-2019
Accepted: 28-06-2019

सारथी कुमारी
श्री संजीव कुमार झा, विष्णुपुर, बेरि, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
सारथी कुमारी
श्री संजीव कुमार झा, विष्णुपुर, बेरि, कुशेश्वरस्थान, दरभंगा, बिहार, भारत

महिला सशक्तिकरण में पंचायत की भूमिका

सारथी कुमारी

सारांश :
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन में महिलाओं की सामाजिक–सांस्कृतिक प्रस्थिति में सुधार के मुद्दे को जीवंत किया गया। आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्रता, आंदोलन की चेतना, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम तथा विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के लगातार प्रयासों के कारण समता के लिए महिलाओं को संघर्ष का एक आधार प्राप्त हुआ है। भारत एक बहुल समाज का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय सामाजिक संरचना में बहुल संस्कृति के तत्व मौजूद है। विभिन्न जाति, प्रजाति, धर्म तथा क्षेत्र के लोग भारत में रहते है। फलतः समता के लिए महिलाओं का संघर्ष अधिक धारदार नहीं है। भारत में मुस्लिम समाज की एक विशिष्ट पहचान तथा संस्कृति है। इसी तरह अन्य धार्मिक समूहों का भी अपने अलग–अलग सरोकार तथा पहचान है। जाहिर है कि विशिष्टताओं के कारण महिलाओं के संघर्ष की दिशा सुसंगठित नहीं है। संघर्ष में वर्ग–चेतना का अभाव है। भारत में सांस्कृतिक मानसिकता पितृसत्तात्मक वर्चस्व के पक्ष में रही है। पैतृक संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी के सवाल पर समाज में स्पष्टता एवं एक सीमा तक ईमानदारी का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी समता के लिए महिलाओं के जुझारू संघर्ष का इंतजार है। जाति पंचायत तथा नातेदारी के नियमों का उल्लंघन साधारणतः संभव नहीं है। महिलाओं के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। उन्हे उस लक्ष्मण रेखा की याद बार–बार दिलाई जाती है तथा अशिक्षित, अर्थहीन एवं धार्मिक मतवादों में उलझी हुई महिलाओं को कोई स्पष्ट मंजिल नहीं दिखाई दे रही है।

कूट शब्दः महिला सशक्तिकरण, पुनर्जागरण आंदोलन, सामाजिक–सांस्कृतिक

प्रस्तावना
महिलाओं के संगठन में मध्यम वर्ग की शिक्षित तथा चेतना संपन्न महिलाओं की सहभागिता अधिक रही है। इन संगठनों ने नारी के अधिकार के सवाल को जीवंत किया। महिलाओं के आत्मविश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन संगठनों की भूमिका उल्लेखनीय है। समता के लिए महिलाओं के संघर्ष में आधुनिक शिक्षा का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर प्रकार्यात्मक योगदान है। ज्ञातव्य है कि भारतीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। कुछ अपवादों को छोड़कर महिलाओं को पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था। परंतु भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन तथा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया महिलाओं की मुक्ति में सहायक सिद्ध हुई है। बंगाल की धरती ने राह दिखलाई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा के विकास एवं विस्तार हेतु अविराम संघर्ष किया। अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना की। उन्होंने अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया। प्रो0 योगेन्द्र सिंह के अनुसार, ''आधुनिक शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक प्रमुख आधार एवं प्रस्थान बिंदु है।'' उनके अनुसार आधुनिक शिक्षा तथा वैज्ञानिक दृष्टि के बीच तर्कपूर्ण संबंध मौजूद है। आधुनिक शिक्षा वैश्विक दृष्टि एवं धर्मनिरपेक्ष चिंतन से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा के आधार पर तर्कपूर्ण औचित्य का विकास होता है। बंगाल की धरती से उठती हुई लहर संपूर्ण देश में फैलती चली गई। भारत के कोने–कोने का यह आलम है कि सुबह–सवेरे आंखों में एक स्वप्न संजोयें स्कूली बस्तों और टिफिन बॉक्स के साथ लड़कियाँ स्कूलन जाने के लिए अपने घरो से निकलती है। शिक्षा ने महिलाओं के संघर्ष को एक सुसंगठित आधार तथा रचनात्मक दिशा प्रदान की है। यह आधुनिक शिक्षा का ही प्रभाव है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर, आई0आई0पी0एम0, आई0आई0टी जैसे देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में महिलाओं का उत्कर्ष शिखर पर है। नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, सैनिक विद्यालयों तथा अपने दमखम पर चल रहे देश के अनेक सी0बी0एस0ई0 स्कूलों में जब 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवर पर राष्ट्रीय गणवेश में सुसज्जित होकर स्कूल की छात्राएँ राष्ट्रीय झंडे के समक्ष नतमस्तक होती है तो सारा देश एक नए युग की नई चेतना को अपनी आंखो से देखता है।

इस तरह शिक्षा के आधार पर समता के लिए महिलाओं के संबंध में एक मौन क्रांति चल रही है। चिंतक अमर्त्य सेन तथा राष्ट्रपति डॉ० ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने संपूर्ण देश को शिक्षित करने की दिशा में एक उत्प्रेरणा प्रदान की है। इस प्रकार शिक्षा से महिलाओं के संघर्ष को एक प्रकार्यात्मक परिणाम प्राप्त हो रहा है। एक मंजिल मिल रही है, एक दिशा मिल रहा है। स्वाधीनता के बाद सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक प्रस्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। भारत सरकार ने 1971 में स्त्री की प्रस्थिति के सर्वेक्षण हेतु एक समिति को मनोनीत किया। समिति ने 1974 मे एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह महिलाओं की प्रस्थिति के संबंध में यह एक बहुआयामी प्रतिवेदन था। इस प्रतिवेदन के निष्कर्षों ने वस्तुतः भारतीय महिलाओं के सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट किया । साथ ही इस प्रतिवेदन ने शिक्षित तथा जागरूक महिलाओं को संघर्ष के लिए। एक नई उत्तेजना प्रदान की। 1978 में मैत्रयी कृष्णाराज ने महिला वैज्ञानिकों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया। इस संबंध में उनकी एक रिपोर्ट 'Report on Working women Scientist in Bombay' प्रकाशित हुई। उनके अनुसार महिला वैज्ञानिकों में पदोन्नति प्राप्त करने की दिशा में कोई विशेष अभिरूचित नहीं है। अधिक बेहतर नौकरी की तलाश के प्रति भी उनमें कोई उत्तेजना नहीं है। वे यथास्थितिवादी हो जाती है। इस प्रकार मैत्रेयी कृष्णाराज के इस टिप्पणी के आधार पर स्पष्ट होता है कि अधिक शिक्षित महिलाओं में भी एक असुरक्षा की भावना है। फलतः समता के लिए महिलाओं के संघर्ष को संगठित चेतना प्राप्त नहीं हो रही है। टी0एस0 पपीला ने भी 1982 में औदयोगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं का अध्ययन किया। इस संबंध में उनकी एक रिपोर्ट "Women Workers is an Urban Labour Market: A Study of Sagregation and Discrimination in Employment in स्नबादवूश भी प्रकाशित हुई है। टी०एस० पपीला ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकत महिलाएँ यथास्थितिवादी है। स्थानांनतरण तो बिल्कुल नहीं चाहती है। पदोन्नति होने पर कार्यभार बढ़ जाने की समस्या से भी कामकाजी महिलाएँ घबराती है। भारतीय सामाजिक संरचना में महिलाओं की प्राथमिकता में उनका परिवार होता है। पति और बच्चों की जिम्मेदारियाँ भी उन पर होती है। इस प्रकार परिवार तथा कार्यालय में वे उलझी हुई रहती है। यदा–कदा पदोन्नति होने पर महिलाकर्मियों को लांछित करने का भी दुःसाहस किया जाता है। जाहिर है कि कार्यरत महिलाओं का अपना एक छोटा–सा संसार हो जाता है। वह एक कामकाजी महिला के रूप में हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह उठाने में सुख पाती है। परंतु दुनिया के झंझावातों से उसे डर लगता है। इस प्रकार, भारतीय महिलाओं के संवर्ग में सुविधाभोगी महिलाओं के एक वर्ग का उदय हुआ है, जिसके एजेंडे में नारीवाद, समता की खोज, पितृसत्तात्मक दमन आदि मुद्दों का कोई मतलब नहीं होता है। लीला गुलाटी ने 1981 में केरल की पाँच कामकाजी महिलाओं का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने निष्कर्षों को अपनी पुस्तक 'Profile in Female Poverty' में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार 3 परिवारों में महिलाएँ ही मुख्य रूप से आर्थिक उपार्जन करती थी, परंतु परिवार तथा नातेदारी में एवं सामाजिक परिवेश में उनकी सामाजिक हैसियत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ था। पुरुष कामकाजी महिलाओं के पैसे पर भी अधिकार करना चाहता है तथा कामकाजी पत्नी को भी अधीन में रखना चाहता है।

समता के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी है। राजनीतिक स्तरों पर भी अनेक महिलाओं ने संघर्ष की प्रक्रिया को तीव्र किया है। पंचायती राज व्यवस्था ने भी महिलाओं के संघर्ष कोए क नई उत्तेजना प्रदान की है। भारत में शिक्षा तथा रोजगार में महिलाओं की अधिक भागीदारी होने पर समता के मार्ग को सशक्त आधार प्राप्त होगा।

पंचायती राज

पंचायती राज लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। निर्णय की प्रक्रिया में जनता की प्रत्यक्ष सहभागिता के आधार पर ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा संभव है। पंचायती राज तथा प्रत्यक्ष जन सहभागिता के बची स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण संबंध मौजूद। है। सत्ता, शक्ति–संरचना तथा लोकतांत्रिक संरचनाओं का विकेन्द्रीकरण देश को नई ऊर्जा तथा नई ऊष्मा प्रदान करता है। 23–25 जून, 2006 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 'स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज' पर केन्द्रित कार्यशाला को संबोधित करते हुए भारत सरकार के पंचायती राजमंत्री श्री मणिशंकर अय्यर ने महत्वपूर्ण तथ्यों का संकेत दिया। उनके अनुसार, पंचायती राज तभी अपना मुकाम बना सकेगा जब जिले शब्द का उल्लेख होने पर कलक्टर या उसके कार्मिकों की फौज की नहीं, बल्कि जिला परिषद् अध्यक्ष और उसके उन पंचायती राज प्रतिनिधियों की तस्वीर उभर कर सामने आ जाए, जिन्हें लोगों ने चुना हो और जो लोगों के प्रति जवाबदेह हों। जवाबदेह वही लोग होते हैं जो जनता के प्रति जिम्मेदार होते हैं तथा जनता के प्रति जिम्मेदार वे ही लोग होते हैं जो उनके प्रतिनिधि हों।'

झारखंड को छोड़ अन्य सभी राज्यों में आज लगभग ढाई लाख निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इनमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों (तथा अनेक राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्गों) को आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सुखद आश्चर्य यह है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय इकाइयों में 12 लाख से अधिक महिलाएँ चुनी गई है। यह संख्या ग्रामीण भारत में मात्र 33 प्रतिशत आरक्षण की तुलना में 40 प्रतिशत से भी अधिक है। राजनीतिक और सामाजिक आधिकारिता का यह इतना बड़ा क्षेत्र है कि विश्व में न तो इसकी कोई तुलना हो सकती है और न इतिहास में कोई मिसाल ही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तथा भारत सरकार के पूर्व मंत्री वाई.के. अलग के अनुसार स्थानीय निकाय सामुदायिक संपदा की विरासत के ट्रस्टी होने के नाते छतरी तान लेंगे जिसे नीचे पूरे संरक्षण भाव के साथ हम आगे–ही–आगे कदम बढ़ायेंगे। भारत में पंचायती राज का एक दीर्घकालीन इतिहास रहा है। बिहार राज्य के अंतर्गत वैशाली में पंचायत पर आधारित गणतंत्रा का विवरण प्राप्त होता है। भारतीय सामाजिक संरचना के अंतर्गत पंच को परमेश्वर के रूप में सम्मानित किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ पंचायती राज । व्यवस्था का स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण संबंध है। उल्लेखनीय है कि संविधान (73वाँ) संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढाँचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। विवरणों के आधार पर यह भी स्पष्ट होता है कि संविधान में 73वें संशोधन के अंतर्गत क्रमशः 24 अप्रैल और पहली जून 1993 को कानून बन जाने पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को एक नया आधार प्राप्त हुआ। पंचायती राज अधिनियम द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, शक्ति संरचना तथा महिला सशक्तीकरण को एक नया आधार प्राप्त हुआ। पंचायती राज चुनाव के दौरान यह स्पष्ट अनुभव किया गया कि जनता में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति अपार जागरूकता है। महिलाओं की सहभागिता भी उल्लेखनीय रही है। वंचित समूहों तथा महिलाओं के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई हे। पंचायती व्यवस्था के कारण सामाजिक संरचना स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई है। विशेष रूप से लैंगिक विभेद के मूल आधार पर प्रहार किया गया है। महिला न एक नई चेतना पैदा हुई है। वस्तुतः पंचायती राज एक जटिल अवधारणा है। 2 अक्टूबर, 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन करते हुए

इसे नए भारत का सर्वाधिका महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कदम बताया।

निष्कर्ष

शिक्षित नारी परिवार व राष्ट्र के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनेक महत्वपूर्ण कार्यो को सही तरीके से निष्पादन करती है। इस प्रकार एक शिक्षित समाज व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान करती है। महिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर हुए शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला स्वास्थ्य मात्र जैविकीय व भौतिक चिकित्सा का ही परिणाम नहीं है, वरन् इसमें सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक घटक भी सम्मिलित है। अनेक ऐसे सामाजिक–सांस्कृतिक कारक है जो महिला स्वास्थ्य को प्रभावित करते है।

संदर्भ :

1. सरोज पांडे, 1996, कैरीकुलम एण्ड जेन्डर क्वेस्चन्स : द इंडियन एक्सपीरियन्स, सोशल एक्सन, वाल्युम–46, नई दिल्ली
2. स्वेता मिश्रा, 1997, वुमेन एण्ड 73वां कन्स्टीच्युसनल एमेंडमेंट एक्ट : ए क्रिटिकल एपराइजल, सोशल एक्सन, वाल्युम–44, नई दिल्ली।
3. शशि एस0 नारायण, 1998, जेन्डर इक्वालिटी थ्रू रिजर्ववेशन इन डिजिसन मेकिंग बडिज, सोशल एक्सन, नई दिल्ली
4. मधु किश्वर, 1999, ऑफ द बिटेन ट्रेक : रिथिकिंग जेन्डर जस्टिस फॉर इंडियन वुमेन, ओयूपी, न्यू देल्ही
5. आंद्रे बेते, 1974, सिक्स एसेज इन कॉम्प्रेटिव सोशियोलॉजी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
6. शर्मा, के0एल0, सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया : प्रोफाईट्स ऑफ कास्ट, क्लास एण्ड सोशल मोबिलिटी, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
7. एम0एन0, श्रीनिवास, 1997, स्टेटस ऑफ वुमेन, ओरियन्ट लॉग्मैन, नई दिल्ली